भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3052

(जिसका उत्तर मंगलवार, 23 मार्च, 2021 को दिया गया)

कारपोरेट कर में बदलाव करने के बाद भार

3052. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट कर में बदलाव करने के बाद सरकार पर कितना भार बढ़ा है;
(ख) क्या सरकार ने उससे निपटने के लिए कोई नीति तैयार की है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 18.03.2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि कराधान कानून संशोधन (अध्यादेश), 2019 के द्वारा किए गए परिवर्तनों के संबंध में कारपोरेट कर की दर में कटौती के कारण राजस्व हानि का अनुमान 1.45 लाख करोड़ रुपये लगाया गया। यह अपेक्षा की जाती है कि कारपोरेट कर की घटी हुई दरों से आय में वृद्धि होगी जिससे कारपोरेट्स के हाथों में अधिक राशि आएगी जिसका पुन:निवेश या तो मौजूदा इकाइयों के विस्तार, नई इकाइयों को स्थापित करने में किया जा सकेगा अथवा लाभांशों के रूप में वितरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 15% कारपोरेट कर की घटी हुई दर का लाभ लेने वाली नई निर्माण कंपनियां, 31.03.2023 तक अपना निर्माण या उत्पादन प्रारंभ कर सकती हैं जिससे भारत में अधिक निर्माण होगा, रोजगार उत्पन्न होगा और नए कामगारों की संख्या में वृद्धि होगी। यह अपेक्षित है कि इसके परिणामत: आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि होगी और इस प्रकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों का कर राजस्व बढ़ेगा।

******